निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-153 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत** के माह 11/2016 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री कलवन्त सिंह, एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.02.2019 से 05.03.2019 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री जतिन राणा व0ले0प0 एवं श्री राकेश रंजन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.11.2016 से 20.11.2016 तक वी0डी0 सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 11/2014 से 10/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 11/14 से 10/16 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 11/2016 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 11/2016 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: इस वन प्रभाग द्वारा 07 वन राजी एवं 01 लीसा डीपो द्वारा वनों का संरक्षण संवर्धन एवं वन उपज से सम्बन्धित समस्त कार्य किये जाते है। भौगोलिक अधिकार 07 राजी एवं 01 लीसा डीपों है।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	728
2016-17	479
2017-18	574

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थापना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-		55	55	177	177		
2016-17	-		105	105	162	162		
2017-18	-		80	80	199	199		

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2017-18	इन्टेसिफिकेशन आँफ फारेस्ट मैनेजमेंट	-	₹3.46	₹3.46	

इकाई को बजट आवंटन शासन से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- अपर प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना- वन संरक्षक- प्रभागीय वन अधिकारी

(V) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(Vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: लागू नहीं

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-153 वर्ष 2018-19

राजस्व लेखापरीक्षा

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-1 प्रबन्ध योजना के अनुसार कार्य न करने से लीसा मद में राजस्व हानि ₹ 984.73 लाख ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चंपावत वन प्रभाग की प्रबन्ध योजना वर्ष 2011-12 से 2020-21 के अनुसार लीसा फसल के लिये आरक्षित वन क्षेत्र में 180436 घावों, सिविल वन में 22255 घावों तथा पंचायती वनों में 134721 घावों (कुल 337412 घाव) पर लीसा विदोहन का कार्य किया जाना था। इन घावों के सापेक्ष क्रमश: 7217.44 कुंतल, 890.20 कुंतल तथा 5388.84 कुंतल (कुल 13496.48 कुंतल) लीसा उत्पादन निर्धारित किया गया था। प्रबन्ध योजना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि उन चीड़ वृक्षों को जिनमे पिछले 30 वर्षो से लीसा विदोहन हो चुका था, उनको इस कार्य योजना में विराम दिया गया था।

प्रभाग के लीसा उत्पादन से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि लीसा फसल वर्ष 2016 व 2017 में लीसा उत्पादन हेतु किए गए घावों व उत्पादन निम्नवत था:

लीसा फसल वर्ष	टिपान के अन्तर्गत घावों की संख्या	लीसा उत्पादन (कुंतल में)
2016	113795	4963.25
2017	98451	4041.75
योग	**212246**	**9005**

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा प्रबन्ध योजना के विपरीत वर्ष 2016 में केवल 113795 तथा वर्ष 2017 में 98451 (कुल 212246 घाव) घावों पर ही कार्य कर क्रमश: 4963.25 कुंतल तथा 4041.75 कुंतल (कुल 9005 कुंतल) लीसा उत्पादन किया गया। इस प्रकार प्रभाग द्वारा वर्ष 2016 में 8533.23 कुंतल तथा वर्ष 2017 में 9454.73 कुंतल लीसा का कम उत्पादन हुआ। प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में लीसा का औसत मूल्य ₹ 6000/- प्रति कुंतल एवं 2017-18 में ₹ 5000/- प्रति कुंतल था। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में कम उत्पादन किए जाने से विभाग ₹ 5,11,99,380/- (8533.23 कुं॰*₹ 6000/कुंतल) तथा वर्ष 2016-17 में कम उत्पादन किए जाने से ₹ 4,72,73,650/- (इस प्रकार कुल ₹ 9,84,73,030/-) की राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि वर्ष 2011 से 2016 तक कतिपय चीड़ वृक्षों में लीसा घाव लगाने योग्य घाव उपलब्ध न होने व 2017 लीसा फसल मे भी वृक्षों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये वास्तविक संख्या अनुसार ही चीड़ वृक्षों की गणना कर लीसा टिपान कार्य किया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबंध योजना के अनुसार निर्धारित घावों पर कार्य नहीं किया गया था और न ही प्रबन्ध योजना के विपरीत कम घावों पर कार्य करने हेतु उच्चाधिकारियों की अनुमति ही ली गयी थी। अतः लीसा का कम उत्पादन होने से ₹9,84,73,030/- राजस्व प्राप्ति नहीं हो सकी।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-153 वर्ष 2018-19

<u>राजस्व लेखापरीक्षा</u>

<u>भाग 2 “अ”</u>

<u>प्रस्तर-</u> 1 एनपीवी एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कम धनराशि लिये जाने से राजस्व क्षति ₹85.05 लाख ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोजन के लिये वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु नेट प्रेजेण्ट वैल्यू (NPV) लेने के सम्बंध में पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F-3/2007-FC दिनाँक 05.02.2009 द्वारा विभिन्न इको क्लास एवं विभिन्न सघनता वाले वनों हेतु एन॰पी॰वी॰ की दरों का निर्धारण किया गया था। कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वन भूमि हस्तांतरण के सापेक्ष देय धनराशियों का निर्धारण निम्नवत किया गया था:

वसूली वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे॰ (₹ में)	रोड साइड वृक्षारोपण प्रति किमी (₹ में)	रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का रोपण
2015-16	209366.00	322102.00	₹ 1000/वृक्ष
2016-17	230302.00	345312.00	₹ 1000/वृक्ष
2017-18	253332.00	379843.00	₹ 1000/वृक्ष

उक्त के अतिरिक्त प्रभावित वृक्षों के 10 गुणी संख्या में वृक्षों के रोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तदर्थ कैम्पा कोष, नई दिल्ली में जमा करायी जानी थी।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियम 3.2(7)(ख) के अनुसार एक हेक्टेअर तक वन भूमि को उपयोग में लाने के प्रस्ताव के मामलों में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या के 10 गुने के बराबर वृक्षों की पौध का आरोपण करना होगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन-प्रभाग के वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तांतरित पत्रावलियों की लेखापरीक्षा में जाँच किये जाने पर निम्न तथ्य संज्ञान में आये:

(A) उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 624/x-4-17/1(205)/2015 दिनाँक 27.09.2017 द्वारा जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रेंगल बैंड से बिगराकोट मोटर मार्ग (लंबाई 5.70 किमी) हेतु 3.39 हे॰ वनभूमि का गैर-वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन हेतु विधिवत स्वीकृति दी गयी थी जिसमे यह उल्लेख था कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एनपीवी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को Ad-hoc CAMPA में स्थानांतरित कर दिया गया है। हस्तांतरण प्रस्ताव के अनुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि इको क्लास-V तथा हरियाली घनत्व 0.2 था एवं जिसकी एन॰पी॰वी॰ दर ₹ 9,39,000/- प्रति हेक्टेअर थी। जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एन॰पी॰वी॰ की मद में 3.39 हेक्टेअर वन भूमि हेतु ₹22,27,230/-, मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु ₹ 7,28,000/- तथा 6.80 हे॰ भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ₹ 9,69,540/- की धनराशि ही जमा की गयी थी। नियमानुसार प्रयोक्ता एजेंसी से वसूली वर्ष 2016-17 हेतु निम्नवत धनराशि जमा करायी जानी थी:

मद	दर (₹ में)	क्षेत्रफल /संख्या	देय धनराशि (₹ में)	जमा की गयी राशि (₹ में)	अन्तर (₹ में)
क्षतिपूरक वृक्षारोपण	230302 प्रति हेक्टेअर	6.80 हेक्ट०	1566054.00	969540.00	596514
रोड साइड वृक्षारोपण	345312 प्रति किमी	5.70 किमी	1968278.00	728000.00	1240278
एनपीवी	939000 प्रति हेक्टेअर	3.39 हेक्टेअर	3183210.00	2227230.00	955980
योग			**67,17,542.00**	**39,24,770.00**	**27,92,772.00**

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एनपीवी की राशि ₹ 9,55,980/-, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि ₹ 5,96,514/- तथा रोड साइड वृक्षारोपण मद में ₹ 12,40,278 (कुल ₹ 27,92,772/-) की राशि कम जमा की थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के आदेशनुसार प्रयोक्ता विभाग से धनराशि जमा कराई गयी है।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित Central Empowered Committee द्वारा अपने आदेश 1-19/CEC/SC/2006-Pt दिनाँक 05.06.2018 के द्वारा इको क्लास अनुसार निर्धारित दरों के अनुसार एनपीवी एवं शासन द्वारा निर्धारित दरों अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की मदों में नियमानुसार धनराशि जमा नहीं कराई गयी थी।

(B) उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 117/x-4-17/1(647)/2015 दिनाँक 03.10.2017 द्वारा जनपद चम्पावत में मूलाकोट-कांडे-भूड़िया मोटर मार्ग (लंबाई 10.00 किमी) हेतु 3.15 हे० वनभूमि का गैर-वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु विधिवत स्वीकृति दी गयी थी जिसमे यह उल्लेख था कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एनपीवी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को Ad-hoc CAMPA में स्थानांतरित कर दिया गया है। हस्तांतरण प्रस्ताव के अनुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि इको क्लास-V तथा हरियाली घनत्व 0.2 था एवं जिसकी एन॰पी॰वी॰ दर ₹ 9,39,000/- प्रति हेक्टेअर थी। जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एन॰पी॰वी॰ की मद में 3.15 हेक्टेअर वन भूमि हेतु ₹ 20,69,550/- तथा 6.30 हे॰ भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ₹ 14,50,903/- की धनराशि ही जमा की गयी थी। इसके अतिरिक्त मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु कोई धनराशि जमा नहीं कराई गयी थी। नियमानुसार प्रयोक्ता एजेंसी से वसूली वर्ष 2016-17 हेतु निम्नवत धनराशि जमा करायी जानी थी:

मद	दर (₹ में)	क्षेत्रफल /संख्या	देय धनराशि (₹ में)	जमा की गयी राशि (₹ में)	अन्तर (₹ में)
क्षतिपूरक वृक्षारोपण	230302 प्रति हेक्टेअर	6.30 हेक्ट०	1450903.00	1450903.00	00
रोड साइड वृक्षारोपण	345312 प्रति किमी	10.00 किमी	3453120.00	00	3453120
एनपीवी	939000 प्रति हेक्टेअर	3.15 हेक्टेअर	2957850.00	2069550.00	888300
योग			**78,61,873.00**	**35,20,453.00**	**43,41,420.00**

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एनपीवी की राशि ₹ 8,88,300/- तथा रोड साइड वृक्षारोपण मद में ₹ 34,53,120 (कुल ₹ 43,41,420/-) की राशि कम जमा की थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि प्रकरण की पुनः जाँच कर अवगत कराया जाएगा।

(C) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा पत्र संख्या FP/UK/ROAD/9568/2015 दिनाँक 27.03.2017 के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1031/x-4-15/1(516)/2015 दिनाँक 30.10.2015 द्वारा जनपद चम्पावत में घाट-नेत्रसलान मोटर मार्ग (लंबाई 10.20 किमी) हेतु 4.86 हे० वनभूमि का गैर-वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी थी जिसमे यह उल्लेख था कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एनपीवी की मद में ₹31,93,020/-, मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु ₹ 32,85,440/- तथा 9.72 हे० भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ₹ 20,35,038/- की धनराशि ही जमा की गयी थी। नियमानुसार प्रयोक्ता एजेंसी से वसूली वर्ष 2015-16 हेतु निम्नवत धनराशि जमा करायी जानी थी:

मद	दर (₹ में)	क्षेत्रफल /संख्या	देय धनराशि (₹ में)	जमा की गयी राशि (₹ में)	अन्तर (₹ में)
क्षतिपूरक वृक्षारोपण	209366 प्रति हेक्टेअर	9.72 हेक्ट०	2035038.00	2035038.00	00
रोड साइड वृक्षारोपण	322102 प्रति किमी	10.20 किमी	3285440.00	3285440.00	00
एनपीवी	939000 प्रति हेक्टेअर	4.86 हेक्टेअर	4563540.00	3193020.00	1370520
योग			**98,84,018.00**	**85,13,498.00**	**13,70,520**

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एनपीवी की राशि ₹ 13,70,520/- की राशि कम जमा की थी। इसके अतिरिक्त मलबा निस्तारण हेतु भी प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं कराई गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि प्रकरण की पुनः जाँच कर अवगत कराया जाएगा।

इस प्रकार उपरोक्त तीन प्रकरणो मे पाया गया कि वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु हस्तांतरण में प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा एन०पी०वी की धनराशि **₹ 32,14,800/-** (₹ 955980 +

₹ 888300 + ₹ 1370520) तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु **₹ 5,96,514/-** एवं मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु **₹ 46,93,698/-** (₹ **12,40,278** +₹ **34,53,120)** इस प्रकार कुल 85,05,012 **(₹ 32,14,800 + ₹ 5290212)** कम जमा कराये गये थे।

अतः धनराशि **₹ 85,05,012**/- की राजस्व हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 2 चालानो का सत्यापन न होना ।

वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह विभागीय प्राप्तियों का कोषागार की सूची से मिलन किया जाना चाहिये। सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या वित्त (लेखा) अनुभाग-1/संख्या-ए-1-1189/दस-96-10(1)-93 दिनाँक 25.06.1996 द्वारा भी विभाग की शासकीय प्राप्तियों के सदर्भ मे समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों का ध्यान वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 27-ए की टिप्पणी(4) की ओर आकृष्ट किया गया था जिसमे यह प्रावधान है कि कोषागारों में भुगतानों (शासकीय प्राप्तियों) के प्रकरणों में आहरण व वितरण अधिकारी द्वारा कोषाधिकारी की चालान पर प्राप्ति को देखकर कैश बुक की प्रविष्टियों को प्रमाणित किया जायेगा तथा मासिक प्राप्तियाँ ₹ 1000 से अधिक हों, तो उसका सत्यापित विवरण कोषागार से प्राप्त कर कैश-बुक में पोस्टिंग से मिलान किया जाये। वित्तीय अनियमितताओं, शासकीय धन के गबन एवं दुर्विनियोग के प्रकरणों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु यह आवश्यक है कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों का यह दायित्व निर्धारित किया जाये कि उक्त नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिक्षित किया जाये।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत की अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में राजस्व प्राप्ति से संबन्धित चयनित माह (03/2017) के चालानो का संबन्धित कोषागार की सूची से मिलान करने पर पाया गया कि प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग के पक्ष में जमा धनराशि ₹ 25,00,615/- के चालान कोषागार की सूची में परिलक्षित नहीं हुये। विवरण निम्नवत है:

क्रम संख्या	चालान संख्या/दिनाँक	धनराशि (₹ में)
1.	188/02.03.2017	15,31,275
2.	149/16.03.2017	4,84,670
3.	150/16.03.2017	4,84,670
योग		**25,00,615/-**

अतः उक्त चालानो का कोषागार की सूची से मिलान न हो पाने के कारण लेखापरीक्षा में इनकी वैधता सत्यापित नहीं हो पायी।

उपरोक्त को इंगित करने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि उक्त चालानों का सत्यापन करवाकर लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के Major Head wise CTR (treasury Champawat) में भी उपरोक्त चालान जमा नहीं पाये गये थे एवं बिना सी0 टी0 आर0 से धनराशि सत्यापन के अभाव मे चालानों के संदिग्ध होने की संभावना है ।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 3 वन विकास निगम द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र के प्रकाष्ठ की रॉयल्टी जमा न कराये जाने से राजस्व क्षति ₹ 5.60 लाख ।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी के पत्र संख्या 341/9-1(14) दिनाँक 03.11.2012, जो कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों मे कार्य करने हेतु कटान-चिरान की शर्तों से संबन्धित है, के बिन्दु संख्या-31 के अनुसार वन विकास निगम को आवंटित लाटों के सम्बंध मे रॉयल्टी का भुगतान निगम द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

इसी पत्र के बिन्दु संख्या 31(2) के अनुसार शंकुधारी प्रजातियों के लौटों के अलावा अन्य प्रजातियों के लौट के लिये निगम के लिये किश्तों की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:
(क) लौट के मूल्य का एक तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह मार्च
(ख) लौट के मूल्य का दूसरा तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह जून
(ग) लौट के मूल्य का बकाया: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह सितंबर

बिन्दु संख्या 31 (3क)(अ) के अनुसार चीड़ की लौट के संबंध मे किश्तों का भुगतान भी उक्त नियमानुसार ही किया जायेगा।

बिन्दु संख्या 33(2) के अनुसार वन विकास निगम यदि रॉयल्टी की किश्तें विलम्ब से जमा करता है तो उससे विलम्ब शुल्क लिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय के लॉट आवंटन से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच में निम्न तथ्य प्रकाश में आए:

(i) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, लोगिंग प्रबन्धक पिथौरागढ़ के पत्र संख्या 536/रॉयल्टी तृतीय किश्त दिनाँक 28.08.2018 द्वारा प्रभाग को रॉयल्टी भुगतान से संबन्धित प्रेषित विवरण में वर्ष 2017-18 में आवंटित लाटों की तृतीय व अंतिम किश्त के भुगतान में चीड़ सूखा का आयतन 463.266 घन मीटर दर्शाया गया था। वन विकास निगम, पिथौरागढ़ द्वारा चीड़ सूखा की 463.266 घन मीटर रॉयल्टी का ही अंतिम रूप से ₹ 8,56,811/- का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त देवदार सूखा का आयतन 8.325 घन मीटर की रॉयल्टी ₹ 27073/- (कुल ₹8,83,884/-) का भुगतान तीन किश्तों ₹ 346218/- दिनाँक 26/03/2018, ₹ 346217/- दिनाँक 27/06/2018 व ₹ 191449/- दिनाँक 15/10/2018 को प्रभाग को किया गया था।

आगे पत्रावली की विस्तृत जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम, पिथौरागढ़ को चीड़ सूखा का आयतन 477.214 घन मीटर आवंटित किया गया था जो कि निगम द्वारा प्रेषित प्रथम दोनों रॉयल्टी किश्तों के विवरण में अंकित है एवं जिसका सत्यापन कार्यालय द्वारा भी किया गया । परन्तु, अन्तिम किश्त में वन विकास निगम द्वारा चीड़ सूखा का आयतन 13.998 घन मीटर (477.214 - 463.216) कम करते हुये रॉयल्टी का भुगतान किया गया था। इस प्रकार 13.998 घन मीटर आयतन की रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया था। वर्ष 2017-18 में चीड़ की रॉयल्टी दर ₹ 2466/- थी। इस प्रकार चीड़ सूखा की रॉयल्टी दर ₹ 1850/- (₹ 2466*3/4) की दर से 13.998 घन मीटर आयतन की रॉयल्टी ₹ 25,896/- कम जमा कराई गयी थी।

(ii) वन विकास निगम, टनकपुर द्वारा वर्ष 2016-17 में आरक्षित लाटों आयतन 812.365 घन मीटर हेतु रॉयल्टी ₹ 1,18,09,338/- देय थी जिसका उल्लेख निगम के पत्र संख्या 688/रॉयल्टी भुगतान 2016-17 दिनाँक 12.09.2017 द्वारा प्रेषित देय रॉयल्टी के विवरण में अंकित है। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम, टनकपुर द्वारा संगत वर्ष में आरक्षित वन क्षेत्र की लाटों की मात्र ₹ 1,12,75,678/- रॉयल्टी राशि ही जमा करायी गयी थी। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में वन विकास निगम टनकपुर द्वारा ₹ 5,33,660/-(1,18,09,338-1,12,75,678) रॉयल्टी कम जमा करायी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर बिन्दु संख्या (i) के सम्बंध में प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि अवशेष रॉयल्टी की वसूली हेतु वन विकास निगम, पिथौरागढ़ से पत्राचार जारी है। वसूली होने पर संप्रेक्षा को अवगत कराया जाएगा। बिन्दु संख्या (ii) के सम्बंध में प्रभाग द्वारा कहा गया कि प्रकरण की जाँच कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः वन विकास निगम से आरक्षित वन क्षेत्र की लाटों की रॉयल्टी **₹ 5,59,556/- (₹ 25,896 + ₹ 5,33,660)** वसूल न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2 "ब"</u>

<u>प्रस्तर-</u>4 लीज रेन्ट न वसूल किया जाना ` 17.92 लाख।

शासनादेश संख्या: 6450/14-3-930/77 दिनाँक 02.07.1979 के क्रम में शासन के पत्र संख्या 156/7-1-2005-500(826)/2002 दिनाँक 09 सितम्बर 2005 द्वारा वन-भूमि पर स्वीकृत लीजों के नवीनीकरण/लीज रेन्ट लिये जाने हेतु व्यवस्था की गयी है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन-प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में लीज रेन्ट से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि संलग्न विवरण अनुसार 29 लीज धारकों द्वारा देय लीज रेन्ट ₹ 17,91,800/- लेखापरीक्षा अवधि (03/2018) तक जमा नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त को इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि यथाशीघ्र पत्राचार कर लीज धारकों से लीज धनराशि जमा करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

अतः लीज रेन्ट न वसूले जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-153 वर्ष 2018-19

चम्पावत वन प्रभाग के अन्तर्गत लीजों का विवरण

क्र. स.	लीज होल्डर का नाम	क्षेत्रफल	वर्ष	अवधि	समाप्ति तिथि	लीज रेंट प्रति वर्ष (रु में)	लीज रेट जमा न होने की अवधि	देय अवधि (वर्ष में)	मार्च 2018 तक जमा ना की गयी धनराशि (रु में) (G*I)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ.प्र. जल निगम, चम्पावत (धूरा से सेन्यूडा)	0.098	1996	20	2016	150	2011 से वर्तमान	6	900
2	बेडचूला / अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम नैनीताल	0.567	1997	20	2017	567	2011 से वर्तमान	7	3969
3	बरमतोडा / अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम चम्पावत	0.0314	1997	16	2017	2325	2011 से वर्तमान	7	16275
4	भेलकोट / अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम चम्पावत	0.1796	1998	20	2018	626	2011 से वर्तमान	8	5008
5	कोठेरा / अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम चम्पावत	0.0453	1998	20	2018	135	2011 से वर्तमान	8	1080
6	परियोजना प्रबंधक, डीपीएमयू, स्वजल पिथौरागढ(बोतेडी)	0.02	2000	20	2020	500	2011 से वर्तमान	8	4000
7	विद्युत कार्य खण्ड, उ.प्र0 पावर कार्पोरेशन, हल्द्वानी	0.4	1999	30	2029	170000	2011 से वर्तमान	8	1360000
8	पचनई / अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम चम्पावत	0.1044	2001	15	2016	1566	2011 से वर्तमान	6	9396
9	तल्ली पचनई / अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम चम्पावत	0.062	2001	15	2016	930	2011 से वर्तमान	6	5580
10	बागडमहर / अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम चम्पावत	0.11	1996	20	2016	150	2011 से वर्तमान	6	900
11	बकस्वाड / अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम अल्मोडा	0.1278	1998	20	2018	2556	2011 से वर्तमान	8	20448
12	श्री पूर्णागिरी / अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम चम्पावत	0.60	1998	20	2018	3900	2011 से वर्तमान	8	31200

13	सिरतोली भरोली /अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ.प्र. जल निगम पिथौरागढ	0.094	1997	30	2017	923	2011 से वर्तमान	7	6461
14	मूलाकोट/अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम लोहाघाट	0.347	2000	16	2016	1061	2011 से वर्तमान	6	6366
15	ब्याली /अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ.प्र. जल निगम लोहाघाट	0.0104	2000	15	2015	63	2011 से वर्तमान	5	315
16	श्री पूर्णागिरी टुन्नास/अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ.प्र. जल निगम चम्पावत	0.072	2000	30	2030	179	2011 से वर्तमान	8	1432
17	श्री पूर्णागिरी/अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम चम्पावत	0.0144	2000	30	2030	36	2011 से वर्तमान	8	288
18	नौलानी/अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ.प्र. जल निगम चम्पावत	0.1044	2001	15	2015	1566	2011 से वर्तमान	5	7830
19	थुवामौनी/अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम चम्पावत	0.406	2001	16	2017	3950	2011 से वर्तमान	7	27650
20	मोटाबांज/अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम चम्पावत	0.8902	2001	15	2016	13353	2011 से वर्तमान	6	80118
21	देवीधूरा/अधिशाषी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, पिथौरागढ	0.441	2000	30	2030	2860	2011 से वर्तमान	8	22880
22	बिरगुल/अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ.प्र. जल निगम चम्पावत	0.18	1998	20	2018	1350	2011 से वर्तमान	8	10800
23	बैरख/अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ.प्र. जल निगम लोहाघाट	0.244	1998	30	2028	2397	2011 से वर्तमान	8	19176
24	ढोलीगांव/परियोजना प्रबन्धक जनपदीय परियोजना प्रबंधन ईकाई, स्वजल परियोजना ओमविला खुटानी	0.2430	2002	30	2032	6078	2011 से वर्तमान	8	48624
25	लिसाडी/अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम लोहाघाट	0.300	2002	16	2018	3200	2011 से वर्तमान	8	25600

26	कानाकोट / /अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम लोहाघाट	0.184	2002	16	2018	1840	2011 से वर्तमान	8	14720
27	ओखलकांडा / /अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम नैनीताल	0.2252	2003	20	2023	6756	2011 से वर्तमान	8	54048
28	लमाई तोक / /अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम लोहाघाट	0.0285	1998	20	2018	342	2011 से वर्तमान	8	2736
29	रमकमंगलखेत / /अधिशाषी अभियंता, निर्माण शाखा, उ. प्र. जल निगम लोहाघाट	0.05	2000	30	2030	500	2011 से वर्तमान	8	4000
योग									**1791800**

व्यय से सम्बन्धित

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-5 लम्बित भुगतान ₹ 46.51 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2228/X-2/2012-19(37)/2003, देहरादून दिनाँक 10.12.2012 द्वारा वन्य जीवों द्वरा जान-माल को क्षति पहुंचाये जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने एवं त्वरित भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निमित्त "मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि नियमावली, 2012" प्रख्यापित की गयी। नियमावली के नियम 5(2) के अनुसार किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में ` **20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जायेगा। अधिसूचना के बिन्दु 9(1)(एक) के अनुसार वन्य जीवों द्वारा मारे जाने पर पीड़ित व्यक्ति/संबन्धित आश्रित को घटना की पुष्टि कर दिये जाने के पश्चात घटना विशेष में आंकलित कुल देय धनराशि का 30% धनराशि अग्रिम रूप में पीड़ित व्यक्ति/आश्रित को जनमानस की क्षति की घटना की सूचना प्राप्त होने से सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़ते हुये अधिकतम 48 घण्टे के अन्त उपलब्ध कराई जायेगी। अवशेष धनराशि जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि माह मार्च 2018 तक प्रभाग मे मानव क्षति (मृत्यु) का 03 प्रकरण, घायल व्यक्ति के 05 प्रकरण एवं पशु क्षति के 352 (कुल 360) प्रकरण लंबित थे जिनके सापेक्ष क्रमश: **₹ 9.00** लाख, **₹ 0.75** लाख व **₹ 36.76 लाख** (**कुल ₹ 46.51**) भुगतान लेखापरीक्षा तिथि (02/2019) तक नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त मानव क्षति के प्रकरणो में पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों को नियमानुसार 30 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि बजट की अनुपलधता के कारण भुगतान नहीं किया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में **₹20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जाना था एवं मानव क्षति के प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति के आश्रित को नियमानुसार 30 प्रतिशत राशि अग्रिम भुगतान किया जाना था जो कि नहीं किया गया था।

अतः मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि मे नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने व **₹ 46.51** लाख के लम्बित भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
1991-92	1	-	
1995-96	1	-	
1998-99	2	-	
2001-02	-	3	
2003-04	3	1	
2004-05	-	3	
2005-06	-	5	
2009-10	1.2,3,4	1,2,3,4	
6/2011-12	1	3	
16/2016-17	1	1	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
16/2016-17	1,2	1,2	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः** शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री कुबेर सिंह बिष्ट	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(राजस्व क्षेत्र)